सं. 22/ वीजीएल/026
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली
दिनांक : 13.01.2023

परिपत्र संख्या 01/01/23

विषय : अन्वेषण एवं अन्य सतर्कता कार्यों के संचालन के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति।

संदर्भ : (i) डीओपीटी का दिनांक 28.11.1997 का ज्ञापन सं -371/32/97-एवीडी III
(ii) आयोग का दिनांक 14 अगस्त 2000 का परिपत्र संख्या 3(वी)/99/12

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 14 अगस्त 2000 के अपने आदेश संख्या 3(वी)/99/12 के तहत निदेश दिया था कि किसी भी संगठन में सतर्कता अधिकारी पूर्णकालिक कर्मचारी होंगे तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी को सतर्कता कार्यों के संचालन के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

2. तथापि, यह देखा गया है कि कुछ संगठन अभी भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जाँच करने के लिए जाँच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह नोट किया जाए कि जाँच अधिकारियों और अन्य सतर्कता अधिकारियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। वे बयान दर्ज करने, मामले के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने, अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने और वर्गीकृत/गोपनीय सहित सभी दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। सतर्कता से संबंधित मामले का पता लगाने, अन्वेषण करने और संसाधन करने में (जब तक कि उन्हें एक तार्किक निष्कर्ष पर नहीं लाया जाता है) जाँच अधिकारियों और अन्य सतर्कता अधिकारियों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सतर्कता अधिकारी और जाँच अधिकारी किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव के प्रति संवेदनशील न हों।

3. इसके अतिरिक्त, यदि सतर्कता अधिकारी, उन्हें सौंपे गए कार्यों में गोपनीयता, वस्तुनिष्ठता या सत्यनिष्ठा से समझौता करते पाए जाते हैं, तो यह भी महत्वपूर्ण है कि वे इसके प्रति जवाबदेह होते हैं और अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होते हैं। यह सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में संभव नहीं है क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी भी कदाचार के लिए, सेवानिवृत्त अधिकारी पर कदाचार और अनुशासनिक नियमावली लागू नहीं होती है।

4. अत:, सतर्कता अधिकारियों (जाँच अधिकारियों सहित) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपने पिछले निदेशों को दोहराने का निर्णय लिया है कि सतर्कता अधिकारी हमेशा संबंधित संगठनों के पूर्णकालिक कर्मचारी होने चाहिए और सतर्कता कार्य निष्पादन के लिए, किसी भी क्षमता में, किसी भी मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देशों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सख्ती से अनुपालन के लिए नोट किया जाए।

ह0/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. सीपीएसयू /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां/स्वायत्त निकाय आदि के सभी मुख्य कार्यकारी।
3. भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ सीपीएसयू/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां/ स्वायत्त निकाय इत्यादि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट।